प्रश्न 1

आई.टी.आर. 7 के भाग A सामान्य में सही पंजीकरण/अनुमोदन विवरण प्रदान नहीं करने के लिए 2020-21 से पहले के निर्धारण वर्ष के लिए माँग उठाई गई थी। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

भाग A सामान्य में सही पंजीकरण विवरण देते हुए संशोधन का आवेदन फ़ाइल किया जाना चाहिए। एक बार संशोधन अनुरोध संसाधित हो जाने पर यदि दिए गए विवरण सही हैं तो माँग कम कर दी जाएगी।

प्रश्न 2

ट्रस्ट या संस्थान को धारा 12A/12AA के तहत पंजीकृत किया गया था या पुरानी व्यवस्था में छूट के दावे के लिए धारा 10(23C) के तहत अनुमोदित किया गया था, लेकिन ट्रस्ट ने धारा 12AB के तहत नया पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है।

निर्धारण वर्ष 2021-22 या उसके बाद के निर्धारण वर्षों के लिए माँग उठाई गई थी क्योंकि ट्रस्ट ने नया पंजीकरण प्राप्त नहीं किया था। हालाँकि, ट्रस्ट ने तत्पश्चात विस्तारित अवधि के भीतर नया पंजीकरण/अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

यदि विस्तारित अवधि के भीतर नया पंजीकरण/अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो कृपया पंजीकरण विवरण (यू.आर.एन. संख्या) के साथ सुधार के लिए अनुरोध दर्ज़ करें। एक बार संशोधन अनुरोध संसाधित हो जाने पर यदि दिए गए विवरण सही हैं तो माँग कम कर दी जाएगी।

प्रश्न 3

ट्रस्ट की कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो पूर्व वर्ष में आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है। ट्रस्ट ने नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म 10B/10BB, जैसा लागू हो, में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल नहीं की है या नियत तिथि के बाद फ़ॉर्म 10B/10BB, जैसा लागू हो, में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट फ़ाइल नहीं की है।

ट्रस्ट ने छूट का दावा करते हुए आय की विवरणी फ़ाइल की है और आय की विवरणी संसाधित करते समय सी.पी.सी. ने दावा की गई छूट की अनुमति नहीं दी और माँग बढ़ा दी। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

जहाँ निर्धारिती ने फ़ॉर्म 10B/10BB देरी से फ़ाइल किया है,

- *यदि विलम्ब 365 दिनों तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले सी.आई.टी. (छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है।*
- *यदि विलम्ब 365 दिनों से अधिक लेकिन 3 साल तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए*

क्षेत्राधिकार वाले पी.आर. सी.सी.आई.टी./सी.सी.आई.टी. (छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है

- यदि विलम्ब माफ़ कर दिया जाता है, तो निर्धारिती प्रभाव/सुधार देने के लिए जे.ए.ओ. के समक्ष आवेदन-पत्र फ़ाइल कर सकता है। जे.ए.ओ. आवश्यक आदेश पारित करेगा।

जहाँ निर्धारिती ने फ़ॉर्म 10B/10BB फ़ाइल नहीं किया है, वहाँ निर्धारिती पहले फ़ॉर्म 10B/10BB फ़ाइल कर सकता है और विलम्ब की अवधि के आधार पर ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन कर सकता है।

प्रश्न 4

फ़ाइल की गई आय की विवरणी में ट्रस्ट ने धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (2) के तहत आय के मानद प्रयोग के लिए दावा किया है। ट्रस्ट को मान्य आवेदन के दावे हेतु अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म 9A फ़ाइल करना आवश्यक था। ट्रस्ट ने या तो नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म 9A फ़ाइल नहीं किया है या नियत तिथि के बाद फ़ाइल किया है। सी.पी.सी. ने आय की विवरणी संसाधित करते समय दावा किए गए मानद प्रयोग की अनुमति नहीं दी और माँग उठाई। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

जहाँ निर्धारिती ने फ़ॉर्म 9A देरी से फ़ाइल किया है,

- *यदि विलम्ब 365 दिनों तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले सी.आई.टी. (छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है।*
- *यदि देरी 365 दिनों से अधिक लेकिन 3 साल तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले पी.आर.सी.सी.आई.टी./सी.सी.आई.टी.(छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है*
- *यदि विलम्ब माफ़ कर दिया जाता है, तो जे.ए.ओ. आवश्यक आदेश पारित करेगा।*

जहाँ निर्धारिती ने फ़ॉर्म 9A फ़ाइल नहीं किया है, वहाँ निर्धारिती पहले फ़ॉर्म 9A फ़ाइल कर सकता है और विलम्ब की अवधि के आधार पर ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन कर सकता है।

प्रश्न 5

ट्रस्ट ने धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (2) के तहत आय के मानद प्रयोग के लिए दावा किया है और फ़ॉर्म 9A फ़ाइल किया है, लेकिन विवरणी में दावा किए गए और फ़ॉर्म 9A में दावा किए गए मानद प्रयोग की राशि में असंगतता है। सी.पी.सी. ने आय की विवरणी संसाधित करते समय विवरणी में दावा की गई राशि और फ़ॉर्म 9A के बीच न्यूनतम राशि की अनुमति दी और माँग उठाई। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

निर्धारिती संशोधित फ़ॉर्म 9A या विवरणी, जैसा लागू हो, फ़ाइल कर सकता है।

यदि संशोधित फ़ॉर्म 9A धारा 139(4) के तहत विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि के भीतर फ़ाइल किया जाता है - तो निर्धारिती सुधार के लिए अनुरोध कर सकता है

यदि संशोधित फ़ॉर्म 9A धारा 139(4) के तहत फ़ाइल करने की नियत तिथि के बाद फ़ाइल किया जाता है -

- *यदि विलम्ब 365 दिनों तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले सी.आई.टी. (छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है।*
- *यदि देरी 365 दिनों से अधिक लेकिन 3 साल तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए*

क्षेत्राधिकार वाले पी.आर.सी.सी.आई.टी./सी.सी.आई.टी.(छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है

- यदि विलम्ब माफ़ कर दिया जाता है, तो निर्धारिती प्रभाव/सुधार देने के लिए जे.ए.ओ. के समक्ष आवेदन-पत्र फ़ाइल कर सकता है।

यदि निर्धारिती ने धारा 139(4) के तहत विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि के भीतर सही विवरण के साथ विवरणी को संशोधित किया है - प्रसंस्करण के समय छूट की अनुमति दी जाएगी।

यदि निर्धारिती विवरणी को संशोधित करना चाहता है लेकिन धारा 139(4) के तहत विवरणी को संशोधित करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है

- *निर्धारिती धारा 119(2)(b) के तहत विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले सी.आई.टी. (छूट) से संपर्क कर सकता है।*
- *यदि विलम्ब माफ़ कर दिया जाता है, तो निर्धारिती धारा 119(2)(b) के तहत विवरणी फ़ाइल कर सकता है और उसे प्रभावी बनाने के लिए जे.ए.ओ. से संपर्क कर सकता है।*

प्रश्न 6

ट्रस्ट ने आय के संचयन के लिए दावा किया है और आय संचयन के दावे के लिए अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म 10 फ़ाइल करना आवश्यक था। ट्रस्ट ने या तो नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म 10 फ़ाइल नहीं किया है या नियत तिथि के बाद फ़ाइल किया है। सी.पी.सी. ने आय की विवरणी संसाधित करते समय दावा किए गए मानद प्रयोग की अनुमति नहीं दी और माँग उठाई। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

जहाँ निर्धारिती ने फ़ॉर्म 10 देरी से फ़ाइल किया है,

- *यदि विलम्ब 365 दिनों तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले सी.आई.टी. (छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है।*
- *यदि देरी 365 दिनों से अधिक लेकिन 3 साल तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले पी.आर.सी.सी.आई.टी./सी.सी.आई.टी.(छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है*
- *यदि विलम्ब माफ़ कर दिया जाता है, तो जे.ए.ओ. आवश्यक आदेश पारित करेगा।*

जहाँ निर्धारिती ने फ़ॉर्म 10 फ़ाइल नहीं किया है, वहाँ निर्धारिती पहले फ़ॉर्म 10 फ़ाइल कर सकता है और विलम्ब की अवधि के आधार पर ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन कर सकता है।

प्रश्न 7

ट्रस्ट ने आय के संचयन के लिए दावा किया है और फ़ॉर्म 10 फ़ाइल किया है लेकिन विवरणी में दावा की गई संचय राशि और फ़ॉर्म 10 में दावा की गई राशि में असंगतता है। सी.पी.सी. ने आय की विवरणी संसाधित करते समय विवरणी में दावा की गई राशि और फ़ॉर्म 10 के बीच न्यूनतम राशि की अनुमति दी और माँग उठाई। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

यदि संशोधित फ़ॉर्म 10 धारा 139(4) के तहत विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि के भीतर फ़ाइल

किया जाता है - तो निर्धारिती सुधार के लिए अनुरोध कर सकता है

यदि संशोधित फ़ॉर्म 10 धारा 139(4) के तहत फ़ाइल करने की नियत तिथि के बाद फ़ाइल किया जाता है -

- *यदि विलम्ब 365 दिनों तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले सी.आई.टी. (छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है।*
- *यदि देरी 365 दिनों से अधिक लेकिन 3 साल तक है - निर्धारिती विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले पी.आर.सी.सी.आई.टी./सी.सी.आई.टी.(छूट) के समक्ष आवेदन फ़ाइल कर सकता है*
- *यदि विलम्ब माफ़ कर दिया जाता है, तो निर्धारिती प्रभाव/सुधार देने के लिए जे.ए.ओ. के समक्ष आवेदन-पत्र फ़ाइल कर सकता है।*

यदि निर्धारिती ने धारा 139(4) के तहत विवरणी फ़ाइल करने की नियत तिथि के भीतर सही विवरण के साथ विवरणी को संशोधित किया है तो प्रसंस्करण के समय छूट की अनुमति दी जाएगी।

यदि निर्धारिती विवरणी को संशोधित करना चाहता है लेकिन धारा 139(4) के तहत विवरणी को संशोधित करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है

- *निर्धारिती धारा 119(2)(b) के तहत विलम्ब की माफ़ी के लिए क्षेत्राधिकार वाले सी.आई.टी. (छूट) से संपर्क कर सकता है और*
- *यदि विलम्ब माफ़ कर दिया जाता है, तो निर्धारिती धारा 119(2)(b) के तहत विवरणी फ़ाइल कर सकता है और उसे प्रभावी बनाने के लिए जे.ए.ओ. से संपर्क कर सकता है।*

प्रश्न 8

यदि ट्रस्ट का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति है और ऐसी गतिविधि से प्राप्तियों का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आय की विवरणी फ़ाइल करते समय ऐसी गतिविधियों से प्राप्तियों को अनजाने में भाग A सामान्य में 20% से अधिक दर्शाया गया है।

सी.पी.सी. ने विवरणी संसाधित करते समय दावा की गई छूट की अनुमति नहीं दी और माँग उठाई। माँग में कमी लाने के लिए निर्धारिती को क्या कार्रवाई करनी होगी?

उत्तर

यदि ऐसी गतिविधियों से प्राप्तियों का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं है, तो इसे सही विवरण के साथ सुधार के लिए फ़ाइल किया जा सकता है। एक बार संशोधन अनुरोध संसाधित हो जाने पर यदि दिए गए विवरण सही हैं तो माँग कम कर दी जाएगी।

प्रश्न 9

वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के उद्देश्य बदल गए हैं और नया पंजीकरण प्राप्त नहीं किया गया है और वही विवरण भाग A सामान्य में दर्ज़ किए गए हैं। क्या ट्रस्ट छूट का दावा करने के लिए पात्र है?

उत्तर

यदि वर्ष के दौरान ट्रस्ट के उद्देश्य बदल गए हैं और नया पंजीकरण प्राप्त नहीं किया गया है तो विवरणी में दावा की गई छूट अनुज्ञेय नहीं होगी।

प्रश्न 10

क्या अधिनियम की धारा 11(1A) के तहत छूट के दावे के लिए नई संपत्ति की लागत के दावे के संबंध में कोई प्रतिबंध है।

उत्तर

यदि कॉलम "पूंजी" के तहत अनुसूची A में धारा 11(1A) के तहत दावा की गई छूट अनुसूची AI में प्रकटित शुद्ध प्रतिफल से अधिक है तो अनुसूची AI में दर्शाए गए शुद्ध प्रतिफल की सीमा तक छूट की अनुज्ञेय होगी।

प्रश्न 11

आय की विवरणी में राजस्व और पूँजी आवेदन का दावा करते समय निर्धारिती को क्या सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं?

उत्तर

कृपया अनुसूची A में और साथ ही अनुसूची भाग BTI के भाग B1 के क्रमांक 6(i) में राजस्व और पूँजी आवेदन का ब्यौरा दर्ज़ करें। कृपया सुनिश्चित करें कि अनुसूची भाग BTI के भाग B1 और अनुसूची A के क्रमांक Sl.No. 6(i) में दावा की गई प्रयोग की राशि के बीच कोई असंगतता नहीं है।

फ़ाइल की गई विवरणी में किसी भी त्रुटि के मामले में, कृपया सुधार या संशोधित विवरणी, जैसा लागू हो, फ़ाइल करें।

प्रश्न 12

आय की विवरणी में धारा 11 और धारा 12 या धारा 10(23C)(iv)/(v)(vi)(via) के तहत छूट का दावा करते समय किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए?

उत्तर

- *पंजीकरण/अनुमोदन के ब्यौरे अनुसूची भाग A सामान्य में भरे जाने चाहिए*
- *कृपया सुनिश्चित करें कि धारा जिसके तहत भाग A सामान्य और भाग BTI में छूट का दावा किया गया है वह समान है।*
- *कृपया सुनिश्चित करें कि जिस धारा के तहत पंजीकरण प्राप्त किया गया है और जिस धारा के तहत विवरणी में छूट का दावा किया गया है, वे समान हैं।*
- *कृपया सुनिश्चित करें कि छूट के रूप में स्वीकार्य राशि का भाग BTI के सुसंगत कॉलम में सही रूप से दावा किया गया है*
- *आय का प्रकटीकरण, अनुसूची AI और/या अनुसूची VC में किया जाना चाहिए, जो भी प्रयोज्य हो*
- *आय का अनुप्रयोग – राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को अनुसूची A में प्रकटित किया जाना चाहिए।*
- *कॉलम पूँजी के तहत अनुसूची A में दावा की गई धारा 11(1A) के तहत छूट अनुसूची AI में उल्लिखित शुद्ध प्रतिफल से अधिक नहीं हो सकती*
- *फ़ॉर्म 10B/10BB में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- सावधानीपूर्वक भरी जानी चाहिए क्योंकि उनका मिलान आय विवरणी में प्रस्तुत विवरण से किया जाएगा।*
- *स्वीकार्य छूट की राशि अनुसूची भाग BTI के भाग B1 के सुसंगत कॉलम में दर्ज़ की जानी चाहिए*

- *अनुसूची-J, अनुसूची-I और अनुसूची-D, जैसा लागू हो, भरें*
- *यदि मानद आवेदन का दावा किया जाता है - धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर फ़ॉर्म 9A फ़ाइल किया जाना चाहिए*

- *यदि आय के संचय का दावा किया जाता है - फ़ॉर्म 10 को धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट तिथि के भीतर फ़ाइल किया जाना चाहिए।*
- *यदि ट्रस्ट का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति है*
- *तो कुल प्राप्तियों और ऐसी गतिविधि के प्रतिशत का उल्लेख अनुसूची भाग A सामान्य में किया जाना चाहिए।*
- *यदि ऐसी गतिविधियों की प्राप्ति का प्रतिशत ट्रस्ट या संस्था की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक है तो धारा 11 के तहत छूट अनुज्ञेय नहीं है [धारा 13(8) के अनुसार]*

प्रश्न 13

पूर्व वर्ष के लिए ट्रस्ट या संस्थान की कुल वार्षिक प्राप्ति दो करोड़ रुपये है, जिसमें से 75 लाख रुपये सरकारी अनुदान है। ट्रस्ट ने धारा 10(23C)(iiiab)/(iiiac) के तहत छूट का दावा किया है। सी.पी.सी. ने आय की विवरणी संसाधित करते समय दावा की गई छूट की अनुमति नहीं दी और माँग उठाई। वर्तमान मामले में निर्धारिती ट्रस्ट को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उत्तर

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, धारा 10(23C)(iiiab)/(iiiac) के तहत दावा की गई छूट केवल तभी दी जाएगी जब वर्ष के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान की राशि कुल वार्षिक प्राप्तियों के 50% से अधिक हो। निर्धारिती को अनुसूची IE 3 के क्रमांक Sl.No 4 पर प्राप्त सरकारी अनुदान की राशि दर्ज़ करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में ट्रस्ट को प्राप्त सरकारी अनुदान कुल वार्षिक प्राप्ति के 50% से अधिक नहीं है। इसलिए, ट्रस्ट धारा 10(23C)(iiiab)/(iiiac) के तहत छूट के लिए पात्र नहीं है।

नोट: यदि प्राप्त सरकारी अनुदान कुल वार्षिक प्राप्ति का 50% से अधिक है, लेकिन विवरणी में इसे सही ढंग से नहीं भरा गया है, तो निर्धारिती माँग में कमी के लिए सही विवरणी / संशोधित विवरणी, जैसा लागू हो, फ़ाइल कर सकता है।

यदि प्राप्त सरकारी अनुदान कुल वार्षिक प्राप्तियों के 50% से अधिक नहीं है, तो निर्धारिती आई.टी.आर. 7 फ़ाइल नहीं कर सकता है।

प्रश्न 14

निर्धारिती ट्रस्ट या संस्थान ने धारा 10(23C)(iiiad)/(iiiae) के तहत छूट का दावा करते हुए आय की विवरणी को फ़ाइल किया है। वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं से निर्धारिती की कुल वार्षिक प्राप्ति छह करोड़ रुपये थी। विवरणी संसाधित करते समय दावा की गई छूट अनुज्ञेय नहीं थी। वर्तमान मामले में निर्धारिती ट्रस्ट को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उत्तर

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, धारा 10(23C)(iiiad)/10(23C)(iiiae) के तहत छूट केवल तभी अनुज्ञेय है जब कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि .5 करोड़ रुपये से अधिक न हो (निर्धारण वर्ष 2022-23 से यह 5 करोड़ रुपये है, उससे पहले यह .1 करोड़ रुपये था)। वर्तमान मामले में कुल वार्षिक प्राप्ति 5

करोड़ से अधिक है, निर्धारिती धारा 10(23C)(iiiad)/10(23C)(iiiae) के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।

यदि कुल वार्षिक प्राप्तियाँ 5 करोड़ रुपये से अधिक हैं और ट्रस्ट को छूट के किसी भी प्रावधान के तहत पंजीकरण नहीं मिला है, तो आई.टी.आर.-7 ऐसे ट्रस्टों पर लागू नहीं होता है।

प्रश्न 15

निर्धारिती धारा 10(23D) के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र है और उसने धारा 10(23D) के तहत छूट का दावा करते हुए आय की विवरणी फ़ाइल की है। हालाँकि, आय की विवरणी फ़ाइल करते समय निर्धारिती भाग B-TI के भाग B2 के सुसंगत कॉलम में छूट का दावा करना भूल गया है। सी.पी.सी. ने आय की विवरणी प्रसंस्करित करते समय छूट की अनुमति नहीं दी है और माँग की है। वर्तमान मामले में माँग को कम करने के लिए निर्धारिती ट्रस्ट को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उत्तर

आय की विवरणी फ़ाइल करते समय, निर्धारिती को भाग BTI के भाग B2 के सुसंगत कॉलम में उस छूट का दावा करना आवश्यक है जिसके लिए वह पात्र है। वर्तमान मामले में निर्धारिती, जैसा भी लागू हो, सही विवरणी/संशोधित विवरणी फ़ाइल कर सकता है।

प्रश्न 16

निर्धारिती एक राजनीतिक दल है और उसने फ़ाइल की गई आय की विवरणी में धारा 13A के तहत छूट का दावा किया है। हालांकि, दावा की गई छूट को विवरणी के प्रसंस्करण के दौरान अनुमति नहीं दी गई थी। कृपया बताएं कि क्या कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

उत्तर

धारा 13A के तहत छूट का दावा करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

- *निर्धारिती को धारा 13A में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है और तदनुसार निर्धारिती को विवरणी की अनुसूची LA भरना आवश्यक है।*
- *धारा 13A के तहत छूट का दावा करने के लिए धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर आय की विवरणी फ़ाइल करना अनिवार्य है।*
- *राजनीतिक दलों को बी.पी. आय पर छूट अनुज्ञेय नहीं है और यह कराधेय है*

यदि अनुसूची LA भरने में कोई त्रुटि या चूक है, तो निर्धारिती सही विवरणी / संशोधित विवरणी, जैसा भी लागू हो, फ़ाइल कर सकता है।

प्रश्न 17

निर्धारिती एक चुनावी ट्रस्ट है जिसने फ़ाइल की गई आय की विवरणी में धारा 13B के तहत छूट का दावा किया है। हालांकि, दावा की गई छूट को विवरणी के प्रसंस्करण के दौरान अनुमति नहीं दी गई थी। कृपया बताएं कि क्या कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

उत्तर

धारा 13B के तहत छूट का दावा करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

- *निर्धारिती को भाग A सामान्य में पंजीकरण ब्यौरा प्रदान करना आवश्यक है*
- *निर्धारिती को नियम 17CA के साथ पठित धारा 13B में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करना होगा और तदनुसार, निर्धारिती को अनुसूची ET भरना आवश्यक है।*

- *छूट केवल स्वैच्छिक योगदान पर ही अनुज्ञेय है, किसी अन्य आय पर नहीं।*

यदि अनुसूची ET भरने और पंजीकरण ब्यौरा प्रदान करने में कोई त्रुटि या चूक है, तो निर्धारिती विवरण/संशोधित विवरणी, जैसा भी लागू हो, को सही कर सकता है।